पत्रावली बाद आदेश।।

30.5.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रकाशचन्द उपस्थित प्रार्थना स्वीकार किया
पत्रावली U/s 212 RTAct- स्वीकार किया
जाता है, विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर
जारी हुआ। पत्रा. फैसल किया जाता।
पत्रावली फैसल शुमार की जाकर
बाद तकमील पूर्ण करके दाखिल दफ्तर रहे

निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 34 / 2007 तारीख दायरा 26.05.2007

उनवान

1. रघुवीर सिहं पुत्र कर्नल दुर्जन साल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डाबरी कलां तहसील सांगोद जरिये कायम मुकामान
   1/1 अक्षयसिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी डाबरीकलां,
   1/2 नीनासिंह बेवा रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी डाबरीकलां तहसील सांगोद।
2. उषासिंह पत्नि इन्द्रप्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डाबरीकलां तहसील सांगोद।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. बद्रीलाल पुत्र लक्ष्मण जाति गूर्जर जरिये कायम मुकामान –
   1/1 छीतरलाल पुत्र बद्रीलाल,
   1/2 नाथूलाल पुत्र बद्रीलाल,
   1/3 गायत्रीबाई पुत्री बद्रीलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम खडिया तहसील सांगोद।
2. ओम प्रकाश पुत्र धन्नालाल,
3. बनवारी पुत्र धन्नालाल,
4. मुकुट बिहारी पुत्र धन्नालाल,
5. बद्रीबाई बेवा धन्नालाल जाति गूजरान निवासीगण ग्राम खडिया तहसील सांगोद।
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा।

– अप्रार्थीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, आर. टी. एक्ट 1955 एवं 136 एल.आर.एक्ट के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट

उपस्थित :–

दिनांक :– 30/5/25

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

श्री नरेश कुमार गौतम (वकील प्रार्थी)

श्री महेश कुमार तिवारी (वकील अप्रार्थीगण)

——निर्णय——

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि –

- ग्राम ढाबरी कलां के राजस्व रेकार्ड में ख.न. 1037 की 0.52 है. तथा ख.न. 1038 की 5.73 है. कुल 6.25 है. भूमि स्थित है जिसका पुराना ख.न. 335 और इससे पूर्व सेटलमेन्ट का ख.न. 308, 309, 312 राणावत जी वाला खेत रहा है जिस पर प्रार्थी के पिता दुर्जन साल सिंह मिलेट्री सेवा में होने से मुनाफा काश्त के जरिये खुद काश्त करते रहे हैं। जागिर रिज्यूम होने पर उक्त भूमि को सहवन मुनाफा काश्त करने वाले आसामी लक्ष्मण पुत्र अमरलाल गूजर साकिन खडिया के खाते दर्ज करदी गयी थी और उसकी फौती पर उसके वारिसान बद्रीलाल, धन्नालाल पिता लक्ष्मण गूजर के खाते दर्ज कर दी गई है और धन्नालाल की मृत्यु होने पर उसके वारिसान अप्रार्थी 2 ता 5 का नाम दर्ज किया गया है।
- प्रार्थी के पिता दुर्जन साल सिंह के मिलेट्री सेवा में होने से राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा उक्त भूमि को आर.पी.टी.ओ. एक्ट के प्रावधानों से प्रभावित होना न मानकर दिनांक 31.07.53 को उक्त भूमि वापिस श्री दुर्जन साल सिंह को कब्जे में दिलवाई जाने की आज्ञा दे दी गई है जिसकी पालना में दिनांक 23.09.1953 को कर्नल दुर्जन साल सिंह को उक्त भूमि पर मौके पर कब्जा संभला दिया गया है और तब से ही उक्त भूमि पर आजीवन श्री दुर्जन साल सिंह और उनकी मृत्यु के बाद उनके चारों पुत्रों की और से प्रार्थी निरन्तर भूमि काश्त करता चला आ रहा है।
- राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश की पालना में वापिस दुर्जन साल सिंह को खातेदार दर्ज नहीं किया है जिसका फायदा उठाकर अप्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड में उनका नाम दर्ज होने से उक्त भूमि पर बैंक से ऋण प्राप्त करने को तत्पर हो रहे हैं जबकि संलग्न हल्का पटवारी एवं तहसीलदार सांगोद की रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज है तथा उक्त भूमि पर बतौर खातेदार नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

- अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण 1 ता 5 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पारित की जावे कि माल ग्राम डाबरी कलां के ख.न. 1037 की 0.52 है. तथा ख.न. 1038 की 5.73 है. कुल 6.25 है. भूमि का दौराने वाद रहन, बैय, खुर्दबुर्द, हस्तान्तरण आदि नहीं करे, ऐसा कृत्य ना तो स्वयं करे और ना ही अपने किसी नौकर, एजेन्टों आदि से करावे।
- उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण की तलबी हो चुकी है। अप्रार्थी सं. 1 ता 5 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार विवादित आराजीयात अप्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की है जिस पर 2 वर्ष पूर्व अप्रार्थीगण की गरीबी का फायदा उठाकर प्रार्थी जो एक जागीरदार व सामन्त शाही परिवार का व्यक्ति है, ने जबरन कब्जा कर लिया है।
- अप्रार्थीगण की जानकारी में 31.07.1953 को वादी के पिता के पक्ष में कोई निर्णय नहीं हुआ है और ना ही उनको 23.09.1953 को कब्जा संभलाया गया है। विवादित आराजीयात अप्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की है जिस पर प्रार्थी ने 2 वर्ष पूर्व जबरन कब्जा किया है जिसे बेदखल कराने का अप्रार्थीगण ने जवाब दावे के साथ काउन्टर क्लेम पेश किया है।
- प्रार्थी का विवादित आराजीयात पर कोई हक नहीं है तथा उसके पक्ष में अप्रार्थीगण की जानकारी के मुताबिक कोई निर्णय पारित नहीं हुआ है। अगर कोई निर्णय पारित भी हुआ हो तो उसकी पालना 12 वर्ष के अंदर कराई जा सकती है, उसके बाद निष्पादन योग्य नहीं रहता है। प्रार्थी विवादित आराजीयात को अपने खाते दर्ज कराने का अधिकारी नहीं है।
- विवादित आराजीयात के संबंध में कानूनन प्रार्थी को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते, विवादित आराजीयात अप्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की है। बहैसियत खातेदार अप्रार्थीगण को रहन, बैय अथवा अन्य किसी प्रकार से उपयोग उपभोग करने के अधिकारी हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।
- जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के उपरान्त पत्रावली बहस में नियत की गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया गया तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त करने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

हमारे द्वारा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.सी.पी के अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए निम्न लिखित तीन शर्तों की पालना आवश्यक है –

1. क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?
3. क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

(क) क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य उस मामले से है जिसमें उसके समर्थन में दी गई साक्ष्य पर विश्वास किया जा सके अर्थात मामले में ठोस व मजबूत रूप से स्थापित हुआ कहा जा सके। इस प्रकार ऐसा मामला जिसे यदि, विरोधी पक्ष खण्डित नहीं कर सके तो ऐसे मामले को प्रथम दृष्टया मामला माना जायेगा। कोई मामला प्रथम दृष्टया है अथवा नहीं, इसको सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर होता है। वह शपथ पत्र या साक्ष्य द्वारा यह साबित करे कि उसके हक में प्रथम दृष्टया मामला है।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी विवादित आराजी का रेकार्डेड खातेदार नहीं हैं, अप्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार हैं। विवादित आराजी में खातेदारी अधिकारों का निर्धारण प्रश्नगत है, उक्त तथ्य का निर्धारण मूल वाद में तनकीवार साक्ष्य लिया जाकर ही संभव है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला माना जा सकता है।

(ख) क्या सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?

अस्थाई निषेधाज्ञा चाहने वाले पक्षकार को सुविधा का संतुलन अपने पक्ष में होना, बताना होगा। इसके लिए प्रार्थी द्वारा जिस सुविधा का लाभ चाहा गया है उसके लिए उसका स्वयं विवादित आराजी पर काबिज होना आवश्यक है। साथ ही प्रार्थी को दी जाने वाली सुविधा से अप्रार्थीगण को कोई विधिसंगत असुविधा भी नहीं होनी चाहिए।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार नहीं हैं, प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी पर स्वयं कब्जा होना व्यक्त किया गया है, अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में भी 2 वर्ष से प्रार्थी का कब्जा होना स्वीकार किया गया हैंऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में माना जा सकता है।

(ग) क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

किसी भी प्रकरण में प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजी पर होने वाली हानि से ऐसी क्षति हो जाये जिसकी पूर्ति भविष्य में होना संभावित नहीं हो और प्रार्थी को अनेक मानसिक व आर्थिक समस्याओं का सामना करना पडे तो इस प्रकार का नुकसान प्रार्थी के लिए अपूरणीय क्षति होगा।

प्रकरण में विवादित भूमि अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण दौराने वाद विवादित आराजी को रहन, बैय, हस्तान्तरण करने हेतु स्वतंत्र है। प्रकरण में खातेदारी अधिकार प्रश्तगत है जिनका मूल वाद में निर्धारण किया जाना है। अधिकारों के निर्धारण से पूर्व ही आराजी हस्तान्तरीत, रहन होने की स्थिति में प्रार्थी को अपरिमित क्षति होने की प्रबल संभावना प्रतीत होती है।

—: आदेश :—

उपरोक्तानुसार आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के अनुसार नियत निर्धारित शर्तों बाबत किये गये उपरोक्त समस्त विवेचन, अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर अधोपांत अवलोकन अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनने, सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने तथा प्रार्थी को अपूरणीय क्षति की संभावना होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाना योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार कर आदेश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 को जरिये ताफैसला मूद वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबन्द किया जाता है कि माल ग्राम ढाबरी कलां के ख.न. 1037 की 0.52 है. तथा ख.न. 1038 की 5.73 है. कुल 6.25 है. आराजी पर राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाए रखे। उक्त कृत्य न तो स्वयं करें और ना ही अपने किसी नौकर, ऐजेन्ट आदि से करावें।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 30/5/25 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Scanned with OKEN Scanner